न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी – सुश्री प्रियंका तलानिया आर.ए.एस.

अनवान –

1. रम्बो देवी पत्नी श्री देवाराम जाति मेघवाल निवासी 7 एल.सी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
2. मोहनी देवी पुत्री श्री देवाराम जाति मेघवाल निवासी 7 एल.सी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

........प्रार्थीगण........

बनाम

1. मीरा देवी पुत्री लाखाराम पत्नी अचलाराम जाति मेघवाल निवासी रड्डेवाला तहसील करणपुर जिला श्री गंगानगर (राज.)
2. चुन्नी देवी पुत्री लाखाराम पत्नी उदाराम जाति मेघवाल निवासी 1 एफ तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर।
4. उप पंजीयक श्री विजयनगर।

......अप्रार्थीगण.......

उपस्थिति – 1. श्री सुखदेव सिंह बुट्टर वकील प्रार्थीगण
2. श्री साहिब बाघला वकील अप्रार्थीगण
3. पैराकार राज तहसीलदार श्री विजयनगर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

प्रकरण संख्या – 201/2014 **निर्णय दिनांक – 07.11.19**

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

प्रार्थीगण के द्वारा उपरोक्त अनवान का एक वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया है। उपरोक्त वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि प्रार्थीगण 1 के ससुर, प्रार्थी संख्या 2 के दादा तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पिता लाखाराम पुत्र श्री गजाराज के नाम से वाके चक 7 एल.सी. तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 23 प.नं. 151/348 का किला नं 1 ता 20 का 5.060 है. (20 बीघा मयखाला) एवं चक 2 एम.एस.डी. का मु.नं. 7 प.नं. 147/342 का किला नं. 1 ता 25 का 6.325 है. कमाण्ड मय खाला आवंटित भूमि थी जो कि उनकी स्वयं अर्जित भूमि है। जो वर्तमान में लाखाराम के देहान्त उपरान्त उनके वारिसान प्रार्थीगण के पति/पिता देवाराम पुत्र लाखाराम व अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 के नाम से विवादित इन्तकाल द्वारा संयुक्त खाता में दर्ज है। प्रार्थीगण के ससुर/दादा लाखाराम के नाम से वाके चक 7 एल.सी. तहसील श्री विजयनगर का पूर्व मु.नं. 11 वर्तमान मु.नं. 23 प.नं. 151/348 का किला नं. 1

लगातार..........2

07/11/19

...लानिया (R.A.S.)
...ण्ड अधिकारी
विजयनगर

Scanned by CamScanner

ता 20 का 5.060 है. (20 बीघा) एवं चक 2 एम.एस.डी. का मु.नं. 7 प.न. 147/342 का किला नं. 1 ता 25 का 6.325 है. कमाण्ड मय खाला आवंटित भूमि होने व जो कि उनकी स्वयंअर्जित भूमि थी इसलिए उक्त भूमि बाबत समस्त व्यवस्था करने का उन्हे कानूनी अधिकार प्राप्त था। लाखाराम की पत्नी मूलि देवी के देहान्त के उपरान्त लाखाराम के प्रार्थीगण के पिता/पति देवाराम 1 पुत्र व दो पुत्रिया अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 विधिक वारिसान थे। एवं लाखाराम के द्वारा अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्रियों अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का विवाह बड़ी धुमधाम से कर दिया था एवं उन्हे जो कुछ देना था उनके विवाह के समय स्त्रीधन के रूप में व अन्य अवसरों पर दे चुके थे। व उक्त भूमि को हर प्रकार से काश्त एवं भूमि में हर प्रकार के सुधार प्रार्थीगण के पति/पिता देवाराम के द्वारा ही किये जा रहे थे। चूंकि लाखाराम वृद्ध थे एवं प्रार्थीगण के पति/पिता देवाराम के द्वारा ही अपने पिता लाखाराम की भी हर प्रकार की सेवा व सार सम्भाल की जा रही थी। जिससे लाखाराम अति प्रसन्न थे। एवं उनके द्वारा भविष्य में उक्त सम्पति को लेकर विवाद न हो उक्त बात को ध्यान में रखते हुए उन्होने स्वेच्छा से अपनी उक्त वर्णित कृषि भूमि व रिहायशी मकान चक 7 एल.सी. तथा अन्य चल अचल सम्पति बाबत व्यवस्था करने के आश्य से अपनी हार्दिक इच्छा व रोबरू गवाहान के एक वसीयत दिनांक 26/07/1978 को अपने एक मात्र पुत्र देवाराम प्रार्थीगण के पति/पिता के पक्ष में उप पंजीयक श्रीगंगानगर के यहां तस्दीक करवा दी। प्रार्थीगण के पति/पिता देवाराम द्वारा लखाराम पुत्र गजाराम का देहान्त वर्ष 1997 में होने पर उक्त भूमि बाबत की गई उनकी वसीयत अनुसार इन्तकाल राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करवाने हेतु कार्यवाही तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर के न्यायालय में की गई। जो कि जैरकार थी। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 ने उक्त वसीयत को निष्फल बनाने की आश्य से तथा देवाराम को उक्त भूमि के अधिकारों से महरूम करने के आशय से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 ने सरपंच ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर उक्त भूमि चक 7 एल.सी.व 2 एम.एस.डी. की भूमि के सम्वन्ध में देवाराम के पक्ष में वसीयत का ज्ञान होते हुए बिना वसीयत की सुनवाई किये ही एक पक्षीय वारिसान इन्तकाल संख्या 84 दिनांक 05/05/1999 चक 2 एम.एस.डी. की भूमि के सम्बन्ध में एवं इन्तकाल संख्या 118 दिनांक 29/04/1999 चक 7 एल.सी. की भूमि बाबत विवादित वारिसान इन्तकाल स्वीकृत करवा लिया। ग्राम पंचायत के उपरोक्त इन्तकाल स्वीकृति के निर्णय के खिलाफ प्रार्थीगण के पति/पिता देवाराम के द्वारा अपील माननीय उपखण्डाधिकारी रायसिंहनगर के न्यायालय में की गई जो तकनीकी आधारों पर वापिस लेकर पुनः दोनों विवादित इन्तकाल संख्या 84 व 118 बाबत इन्तकाल अपील पेश की गई थी। जिसे श्रीमान उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 29/10/1999 को उक्त भूमि बाबत की गई वसीयत के आधार पर अपील स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य इन्तकाल निरस्त कर पत्रावली को तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड कर दिया गया कि तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए नियमानुसार निस्तारण करे। अप्रार्थीगण मीरा देवी, चुन्नी देवी द्वारा श्रीमान उपखण्डाधिकारी रायसिंहनगर के निर्णय दिनांक 29/10/1999 के विरूद्ध अपील संख्या 46/97 व अपील संख्या 47/97 संभागीय आयुक्त बीकानेर न्यायालय में दायर कर दी गई। जिस पर माननीय संभागीय आयुक्त

लगातार..........3

07/11
...ड़िया (R.A.S.)
...ड अधिकारी
विजयनगर

बीकानेर के द्वारा निर्णय दिनांक 17/09/2001 से निर्णय पारित करते हुए उपखण्डाधिकारी रायसिंहनगर का आदेश दिनांक 29/10/1999 निरस्त कर ग्राम पंचायत का आदेश यथावत् रखा गया। माननीय संभागीय आयुक्त बीकानेर न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 17/09/2001 के विरूद्ध अनुवान देवाराम विधिक वारिस रम्भो देवी अदि बनाम मीरा देवी आदि रिविजन संख्या 6849/2001 व 6850/2001 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में दायर की गई। जिसमें माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 09/04/2014 पारित करते हुए उक्त दोनों रिविजन का समान पक्षकार व समान तथ्य होने से एक साथ निस्तारण कर दोनों रिविजन आंशिक स्वीकार करते हुए इन्तकाल संख्या 84 व 118 को विवादित मानते हुए प्रार्थीगण देवाराम के वारिसान को वसीयत के आधार पर सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अधिकारों की घोषणा करवाने हेतु स्वतन्त्र करते हुए निर्देश दिये कि इस बाबत राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 09/04/2014 से तीन माह के अन्दर कार्यवाही करे तथा दोनों पक्षों को विवादित भूमि बावत स्थगन आदेश से पाबन्द किया जाकर निर्णय पारित किया गया। जिस पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय व निर्देश दिनांक 09/04/2014 के अनुसार यह अनवानी वाद पत्र प्रार्थीगण के द्वारा स्वयं को उक्त भूमि बावत देवाराम के पक्ष में निष्पादित रजि. वसीयत के आधार पर खातेदार टेनेन्ट घोषित करवाने हेतु अधिकारों की घोषणा हेतु पेश किया गया है। खातेदार लाखाराम पुत्र श्री गजाराम का देहान्त हो जाने पर उनकी इच्छानुसार व उनके द्वारा की गई अंतिम निर्विवादित वसीयत को लागू करवाने हेतु वसीयत को तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर में प्रस्तुत कर कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी गई थी किन्तु इसी दौरान अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 आलोच्य इन्तकाल संख्या 84 व 118 गलत तरीके से दर्ज/स्वीकृत करवा लिया। जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का उक्त भूमि में कोई हक वा हिस्सा नहीं है और इन्तकाल की प्रक्रिया एक फिक्शल कार्यवाही है जिससे किसी को कोई खातेदार अधिकार हासिल नहीं हो सकते। पंजीबद्ध वसीयत के होते हुए अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को उक्त विवादित भूमि बाबत कोई हक व अधिकार हासिल नहीं है। उक्त विवादित इन्तकाल संख्या 84 व 118 सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा बिना विधिक प्रकिया अपनाये, बिना सार्वजनिक ग्राम पंचायात मिटींग के मनमाने तरीके से अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 से साज-बाज होकर ही विरास्तन इन्तकाल स्वीकृत किया है। जिसका प्रार्थीगण पर कोई विधिक प्रभाव नहीं है क्योकि लाखाराम द्वारा देवाराम के पक्ष में की गई वसीयत का अप्रार्थीगण को भलीभांति पूर्ण ज्ञान व जानकारी थी। उक्त वसीयत इन्तकाल बावत तहसीलदार न्यालय में कार्यवाही विचाराधीन थी। विवादित रकबा पर लाखाराम व देवाराम को ही शुरू से समस्त अधिकार हासिल थे। प्रार्थीगण के पति/पिता देवाराम द्वारा ही समस्त राजस्व लगान, सिंचाई कर आदि भूमि को अपना मानते हुए जमा करवाये जाते रहे है व भूमि में आवश्यक सुविधा स्थापित कर मेहनत व धन खर्च कर काबिल काश्त बनाया गया है इसलिए उक्त भूमि की वसीयत दिनांक 26/07/1978 प्रार्थीगण के पति/पिता देवाराम के हक में खातेदार लाखाराम के द्वारा स्वेच्छा से की होने के कारण से व अब देवाराम का देहान्त हो जाने व प्रार्थीगण स्वः देवाराम के वारिसान होने के कारण से उक्त भूमि के खातेदार टेनेन्ट है इसलिए प्रार्थीगण स्वयं को उपरोक्त भूमि प्रार्थीगण के ससुर/दादा लाखाराम के नाम से वाके

लगातार..........4

...रिया (R.A.S.)
...ड अधिकारी
विजयनगर

चक 7 एल.सी. तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 23 प.नं. 151/348 का किला नं 1 ता 20 का 5.060 है. (20 बीघा मयखाला) एवं चक 2 एम.एस.डी. का मु.नं. 7 प.नं. 147/342 का किला नं. 1 ता 25 का 6.325 है. कमाण्ड मय खाला भूमि के सम्बन्ध में अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने के विधिक अधिकारी है एवं अनवानी वाद पत्र के माध्यम से ऐसा करने के प्रार्थीगण विधिक अधिकारी है। जिसके लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा आदेश/निर्देश भी दिये गये है इसलिए यह अनवानी वाद पत्र माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 9/04/2014 की पालना में निर्णय दिनांक से तीन माह की अवधि के भीतर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। वसीयत दिनांक 26/07/1978 लाखाराम की स्वेच्छा से देवाराम के हक में की गई अन्तिम रजि. वसीयत है उक्त वसीयत उप-पंजीयक कार्यालय में रोबरू गवाहान पंजीबद्ध करवायी हुई है जिस पर किसी प्रकार की शंका करने का कोई प्रश्न ही नहीं है ना ही कभी उक्त रजि. वसीयत को अलग से कहीं आज तक चुनौती दी गई है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि बाबत विवादित विरास्तन इन्तकाल संख्या 84 व 118 को स्वीकृत करवा लिया है जिस कारण से वर्तमान में भूमि वारिसान देवाराम व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम से दर्ज है जिसका नाजायज लाभ उठाते हुए उक्त भूमि के मात्र रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का नाम अंकित होने से अपने हिस्सा में दर्ज भूमि को अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 अन्य गुण्डा प्रवृति व्यक्तियों व भू माफिया गिराह के सदस्यों को विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरित कर प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि पर जबरन काबिज होकर प्रार्थीगण को उक्त भूमि से महरूम एवं बेदखल जबरन बलपूर्वक करने पर आमादा है यदि अप्रार्थीगण अपने उक्त विधि विरूद्ध कृत्यों मे कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीगण के विधिक अधिकारों का हनन होगा एवं प्रार्थीगण को अपने साधिकार कब्जा काश्त की भूमि से महरूम एवं जबरन बेदखल होना पडेगा जिससे प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा व प्रार्थीगण के पास आय का एक मात्र साधन उक्त भूमि होने से व ऐसा कृत्य करने से पक्षकारान के मध्य विवाद बढेगा, खर्च बढेगा एवं मुकदमा बाजी बढेगी जिससे प्रार्थीगण को भारी असुविधा होगी इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनो बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में पक्ष है। यदि स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाता है तो अप्रार्थीगण अपने मनसूबों में कायामब होकर येन-केन किसी प्रकार से विवादित भूमि को मात्र राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाममात्र दर्ज होने से खुर्द बुर्द हस्तान्तरित कर देते है तो प्रार्थीगण को भारी परेशानी व असुविधा होगी जिसका मुल्यांकन मुद्रा में नहीं किया जा सकता है

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण के रकबा चक 7 एल.सी. तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 23 प.नं. 151/348 का किला नं 1 ता 20 का 5.060 है. (20 बीघा मयखाला) एवं चक 2 एम.एस.डी. का मु.नं. 7 प.नं. 147/342 का किला नं. 1 ता 25 का 6.325 है. कमाण्ड मय खाला भूमि को किसी प्रकार से रहन, बैय, विक्रय, हस्तान्तरित करने तथा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त, सिंचाई सुविाा आदि में स्वयं या अन्य द्वारा किसी

लगातार..........5

...जानिया (R.A.S.)
...ण्ड अधिकारी
... विजयनगर

प्रकार से बेजा मदाखलत करने से बाज व ममनू रहे और मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपना जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के तथ्यों से अपनी असहमति प्रकट करते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त भूमि संयुक्त परिवार की अर्जित कमाई से बनायी गयी सम्पति थी जिस पर लाखाराम के सभी वारिसान का बराबर बराबर का अधिकार है। लाखाराम की प्रारम्भ से ही इच्छा रही थी कि उपरोक्त सम्पति उनके देहान्त उपरान्त उनके सभी वारिसान को बराबर बराबर हिस्सा में प्राप्त हो चूंकि उक्त सम्पति बनाने में सभी का बराबर बराबर का योगदान रहा है। तथाकथित वसीयत दिनांक 26/07/1978 फर्जी, कूटरचित तैयार की गई है। यदि देवाराम के हक में वसीयत स्वेच्छा से की गई होती तो वर्ष 1997 में देहान्त के समय ही उक्त वसीयत को सभी के सामने रख देते एवं वसीयत अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर देते किन्तु ऐसा देहान्त के करीब दो वर्ष तक नहीं किया गया जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा समस्त तथ्यों की जांच कर विधिवत् प्रक्रिया से वारिसान इन्तकाल आम सभा में स्वीकृत कर दिया गया जिसकी पूर्ण जानकारी प्रारम्भ से ही देवाराम व उसके परिवार को रही है। देवाराम के द्वारा वारिसान इन्तकाल को स्वीकार भी कर लिया गया था एवं स्वेच्छा से उक्त सम्पति का लाखाराम के वारिसान देवाराम व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 में बाहमी बंटवारा भी किया गया एवं बंटवारा अनुसार भूमि पर अप्रार्थीगण साधिकार काबिज चली आ रही है अब भूमि में अप्रार्थीगण के द्वारा किये गये सुधारों के कारण कीमतों में वृद्धि होने से प्रार्थीगण के मन में लालच आ गया है इसलिए अब लालचवश यह अनवानी प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है जो काबिल निरस्ती के है। अब अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाने पर अप्रार्थीगण को अपने खातेदारी रकबा के लाभों से महरूम होना पडेगा एवं काश्त में असुविधा होगी जिससे अप्रार्थीगण के विधिक अधिकारों का हनन होगा एवं अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है। वसीयत लाखाराम की स्वेच्छा से की गई वसीयत नहीं है। वसीयत फर्जी कूटरचित तैयार की गई है एवं स्वयं देवाराम के द्वारा अपने जीवन काल में वारिसान इन्तकाल को स्वीकार करते हुए बाहमी बंटवारा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के साथ कर लिया गया था इसलिए ऐसी स्थिति में जबकि देवाराम जिसके पक्ष में तथाकथित वसीयत होना बताया जा रहा है, के द्वारा अपने वसीयती अधिकारों का त्याग कर दिया गया हो तो अब उक्त वसीयत को प्रभावी करवाने के लिए उनके वारिसान को वाद लाने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र काबिल निरस्ती के है। आदि का प्रस्तुत कर कर प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी पैरोकार राज की ओर से जवाब प्रस्तुत है। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो एवं कानूनी प्रावधानों पर मनन किया गया और निष्कर्ष रूप में यह पाया कि लाखाराम पुत्र श्री गजाराज के नाम से वाके चक

लगातार..........6

07/11/19

...िया (R.A.S.)
...ड अधिकारी
...विजयनगर

7 एल.सी. तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 23 प.नं. 151/348 का किला नं 1 ता 20 का 5.060 है. (20 बीघा मयखाला) एवं चक 2 एम.एस.डी. का मु.नं. 7 प.नं. 147/342 का किला नं. 1 ता 25 का 6.325 है. कमाण्ड मय खाला आवंटित भूमि थी। जिसके सम्बन्ध में एक वसीयत दिनांक 26/07/1978 को लाखाराम के द्वारा अपने एक मात्र पुत्र देवाराम प्रार्थीगण के पति/पिता के पक्ष में उप पंजीयक श्रीगंगानगर के यहां तस्दीक करवा दी। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण साबित होता है तथा सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनो महत्वपूर्ण बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह चक 7 एल.सी. तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 23 प.नं. 151/348 का किला नं 1 ता 20 का 5.060 है. (20 बीघा मयखाला) एवं चक 2 एम.एस.डी. का मु.नं. 7 प.नं. 147/342 का किला नं. 1 ता 25 का 6.325 है. कमाण्ड मय खाला भूमि में मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 07.11.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

07/11/19

(प्रियंका तलानिया)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

प्रियंका तलानिया (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2019.11.22 14:17:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: